कार्यकारी सार

हमने वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवाओं, काम्पलैक्स (रिहायशी) निर्माण की सेवाओं तथा निर्माण कार्य ठेका सेवाओं नामक तीन निर्माण सेवाओं पर सेवा कर के समुचित उदग्रहण, अंकलन तथा संग्रहण को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित वित्त अधिनियम, 1994, सेवा कर नियमावलियों तथा सम्बद्ध निर्देशों के प्रावधानों की पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया।

हमें निर्धारितियों को पंजीकृत करने, विवरणियों को प्राप्त करने, विवरणियों की संवीक्षा करने, नियम प्रावधानों के द्विअर्थी/अपर्याप्त होने तथा खराब अनुपालन की कमियों का पता लगा। इस लेखापरीक्षा हस्ताक्षेप में कुल निहितार्थ वित्त हालांकि ₹ 1477.19 करोड़ का रहा था, सरकार को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सकने वाला अतिरिक्त राजस्व ₹ 766.95 करोड़ था। ₹ 66.97 करोड़ के मूल्य की आपत्तियाँ सरकार ने स्वीकार कर ली थी तथा ₹ 9.73 करोड़ की वसूली कर ली थी।

मुख्य निष्कर्ष तथा उनसे सम्बन्धित सिफारिशें ये थीं :-

- हमने पाया कि कमिश्नरियों ने अपंजीकृत सेवाप्रदायकों की पहचान के लिए अपनी रेजों द्वारा सर्वेक्षण के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। जहाँ कुछ सर्वेक्षण हुए भी वहाँ परिणामों की डीजीएसटी के दिनांक 26 मई 2003 के परिपत्र में यथा वर्णित मोनिटर नहीं किया गया।

- हमने 3535 सेवाप्रदायकों की पहचान की जो ये तीन सेवाएं प्रदान कर रहे थे तथा उन्हें सेवा कर अदा करना चाहिए था परन्तु वे विभाग की पंजीकृत सूची में दर्ज नहीं थे। हमने पाया कि इन 2234 संभावित निर्धारितियों को ₹ 181.54 करोड़ का सेवा कर अदा करना था।

- हमने सिफारिश की कि विभाग को डीजीएसटी द्वारा निर्धारित विभिन्न उपाय अपनाने तथा राज्य सरकारों के उन विभागों से निकटतापूर्ण सम्पर्क बनाने की आवश्यकता थी जो नियमित रूप से निर्माण सेवाएं तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करते रहते थे।

(पैराग्राफ 2.1)

- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चला कि 12 प्रतिशत सेवा कर विवरणियाँ विलम्ब से प्राप्त हुईं तथा 31 प्रतिशत विवरणियाँ प्राप्त ही नहीं हुई थीं। हमने 10 कमीश्नरियों में 145 निर्धारिती ऐसे पाए जिन्होंने अपनी सेवा कर विवरणियां दाखिल ही नहीं की तथा ₹ 14.73 करोड़ का सेवा कर अदा नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.3.1 तथा 2.3.2)

- हमें 32 कमिश्नरियों में ऐसे 158 मामले मिले जिनमें विभागीय अधिकारियों ने विवरणियों की संवीक्षा कर ली थी परन्तु अनियमितताएं ढूढने में विफल रहे जिसके कारण कुल मिलाकर ₹ 17.48 करोड़ के सेवा कर का उदग्रहण कम हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.2)

- हमने निर्धारिती के आयकर विवरणों तथा अन्य अभिलेखों के साथ सेवा कर विवरणों के मिलान निरीक्षण से पाया कि 255 निर्धारितियों ने निर्धारण योग्य मूल्य को छिपाकर ₹ 110.08 करोड़ के सेवा कर का अपवंचन किया था।

(पैराग्राफ 2.4.3)

- हमने सिफारिश की कि विवरणियों की प्राप्ति तथा विवरणियों की संवीक्षा करने के मोनिटरिंग करने वाले तन्त्रों को सरल तथा कारगर बनाने की आवश्यकता थी ताकि आपत्तियों तथा मतभेदों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई समयानुसार की जा सके।

(पैराग्राफ 2.4)

- हमने पाया कि कम्पलैक्स (रिहायशी) सेवा के निर्माण पर सेवा कर तभी लगेगा जब निर्माण में 12 रिहायशी इकाइयों से अधिक इकाइयाँ शामिल होगीं इस शर्त के कारण बहुत महंगे तथा विशाल रिहायशी इकाइयों का निर्माण बिना कर के भुगतान के हो गया था।

- हमने सिफारिश की कि सरकार '12 इकाइयों से अधिक' के मापदण्ड को अतिरिक्त मापदण्ड से प्रतिपूर्ण करने पर विचार करे ताकि 12 इकाइयों से कम के महगें निर्माणों को सेवा कर परिधि में लाया जा सके।

(पैराग्राफ 2.6)

- हमने पाया कि डब्ल्यूसीएस संरचना योजना के लिए इनपुट सेवाओं पर पूंजीगत माल तथा सेवा कर शुल्क का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता था हालांकि ये सीसीएस/सीओएन छूट योजना के लिए अनुमत नही थे।

- हमने सिफारिश की कि सरकार को डब्ल्यूसीएस संरचना योजना में पूंजीगत माल तथा इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट को अननुमत करने के एक खण्ड को शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.7)

- हमने छूट तथा उपशमन की अनियमित प्राप्ति , अग्रिम भुगतान पर सेवा कर के भुगतान न होने, अपार्टमैन्ट में भूस्वामी का हिस्सा होने, सेवा का आयात, गलत वर्गीकरण, सेवा कर को जमा न कराने , सेनवेट क्रेडिट के गलत/अधिक लेने तथा उपयोग के मामले देखे जिनका राजस्व प्रभाव ₹ 766.95 करोड़ हुआ ।

(अध्याय III से X)